प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.01.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद में Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम के तृतीय चरण का शुभारम्भ।

दिनांक 20.01.2026 को कमिश्नरेट गाजियाबाद में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित **Student Police Experiential Learning (SPEL)** कार्यक्रम के तृतीय चरण का शुभारम्भ श्री केशव कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध,गाजियाबाद के कुशल निर्देशन एवं श्री पीयूष कुमार सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध/प्रोटोकॉल गाजियाबाद, नोडल अधिकारी **SPEL** गाजियाबाद के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय नोडल अधिकारी **NSS** श्रीमती पल्लवी शर्मा द्वारा नामित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन्स गाजियाबाद स्थित बेडमिन्टन हॉल में किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागी छात्र/छात्राओं को **SPEL** कार्यक्रम के उद्देश्य, संरचना एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

यह कार्यक्रम थाना कोतवाली, विजयनगर, कविनगर, नन्दग्राम, सिहानीगेट, क्रासिंग रिपब्लिक, वेवसिटी,साहिबाबाद, कौशाम्बी, मुरादनगर ,मोदीनगर, निवाड़ी, भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद के 13 थानों में संचालित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र/छात्राओं के संज्ञानात्मक कौशल व लोक कौशल में सुधार है , इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, जो उनके भविष्य के लिए उपयोगी होगा साथ ही पुलिस के लिए भी यह एक ऐसा अवसर है कि वे युवा पीढ़ी में पुलिस मित्र बना सकें , जिसके लिये उन्हे कानून और आपराधिक प्रक्रिया, आपराधिक अनुसंधान, यातायात नियंत्रण, साइबर अपराध, मानव तस्करी, कानून व्यवस्था इत्यादि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.11.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर थाना गढाकोटा जिला सागर म0प्र0 से जीरो एफआईआर सं0-001/2025 धारा 332(बी),70(2),351(3) बीएनएस, 5(g)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त हुई जिसमें आरोपित किया गया कि अभियुक्तगण 1.उत्तम बसोर 2.प्रद्युम्न बसोर निवासीगण ग्राम बिछिया थाना गढाकोटा जिला सागर मध्य प्रदेश द्वारा नाबालिग पीडिता उम्र करीब 14 वर्ष के साथ झुग्गी में घुसकर बारी-बारी से गलत काम करना व जान से मारने की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वाँछित अभियुक्त प्रदुम्म धानक पुत्र दयाराम धानक उर्फ

हल्ले हाल पता C – 2631 सुशान्त लोक सैक्टर 43 गुरूग्राम हरियाणा स्थायी पता ग्राम चुहरा पोस्ट सावलखिरिया थाना रेहली जिला सागर मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

दिनांक 20.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वाँछित अभियुक्त उत्तम बसोर पुत्र प्रमोद बसोर निवासी ग्राम बिछिया थाना गढाकोटा जनपद सागर मध्यप्रदेश उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं अपने दोस्त प्रदुम्म के साथ ट्रोनिका सिटी स्थित झुग्गी के रास्ते से होकर रोजाना काम पर जाता था। पीडिता के माता-पिता भी हमारे साथ काम करते थे जिस कारण मेरा व मेरे दोस्त प्रदुम्म का पीडिता की झुग्गी में आना जाना हो गया था। दिनांक 16/09/2025 को सुबह के समय जब पीडिता के माता पिता काम पर गये थे तो मैं व मेरा दोस्त प्रदुम्म पीडिता को बहला फुसलाकर उसकी झुग्गी में घुस गये और मौका पाकर उसके साथ गलत काम किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उत्तम बसोर पुत्र प्रमोद बसोर निवासी ग्राम बिछिया थाना गढाकोटा जनपद सागर मध्यप्रदेश हाल पता सुशान्त लोक सैक्टर 43 गुरूग्राम हरियाणा उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उत्तम बसोर पर उपरोक्त घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बालक उम्र करीब 15 वर्ष को सकुशल बरामद किया गया।

दिनांक 29.11.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि मेरा पुत्र उम्र करीब 15 वर्ष घर से कहीं चला गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.01.2026 को थाना स्तर से चौकी प्रभारी चामुण्डा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा बीट प्रणाली का सदुपयोग करते हुये बीट ग्रुप व स्थानीय लोगों के सहयोग से सूचना का प्रसार कराकर तथा सम्भावित स्थानों बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन , सर्विलांस सेल , कैमरों व साईबर सेल की सहायता से उपरोक्त गुमशुदा बालक को सोनीपत हरियाणा से सकुशल बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च द्वारा प्रतिबन्धित Eskuf Cough Syrup व Phensedyl Cough Syrup की कालाबाजारी व तस्करी मे शामिल अन्तर्राज्यीय गिरोह का एक अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध व सहायक पुलिस आयुक्त, एस0आई0टी0 टीम के नेतृत्व में स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च द्वारा दिनांक 20.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर कोडिन कफ सिरप मे वांछित अभियुक्त को मेरठ रोड़ नया बस अड्डे के पास से अभियुक्त कमल मौर्य पुत्र स्व0 रेवती प्रसाद हाल निवासी झुग्गी न0 5 बर्रई कटारा हिल्स थाना कटारा जिला भोपाल मध्य प्रदेश, मूल निवासी वार्ड न0 20 बंगाली कालोनी आदमगढ रोड हौशंगाबाद शिव मन्दिर के पास थाना हौशंगाबाद जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त कमल मोर्य उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह पिछले करीब 10 वर्ष से ट्रांसपोर्ट लाइन मे कार्य कर रहा है। अभि0 उपरोक्त का एक साथी जो मध्य प्रदेश के जिला मांडला का रहने वाला है उसी के सम्पर्क मे था उसी के कहने पर कफ सिरप की तस्करी/कालाबाजारी मे प्रयुक्त होने वाले ट्रको को डिमाण्ड अनुसार उपलब्ध कराता था तथा गाजियाबाद के मछली गौदाम से जेल गये ट्रांसपोर्टर बरेली गोरखपुर ट्रंसपोर्ट के मालिक संतोष भड़ाना व उसके साथीयो के सम्पर्क मे रहकर ट्रको को चूना,चावल,चिप्स,नमकीन,गेहुँ आदि मे छिपाकर प्रतिबंधित कफ सिरप की कालाबाजारी/तस्करी करबाता था उक्त तस्करी मे ट्रको को उपल्बध कराने मे मोटा कमीशन कमाता था। व मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अपने अन्य साथीयो से मिलने गाजियाबाद आया हुआ था जिसको मुखबीर की सूचना पर गिरफ्तार कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- कमल मौर्य पुत्र स्व0 रेवती प्रसाद हाल निवासी झुग्गी न0 5 बर्रई कटारा हिल्स थाना कटारा जिला भोपाल मध्य प्रदेश, मूल निवासी वार्ड न0 20 बंगाली कालोनी आदमगढ रोड हौशंगाबाद शिव मन्दिर के पास थाना हौशंगाबाद जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश उम्र 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-अभियुक्त कमल मौर्य

1. मु०अ०सं०-691/2025 धारा 336(3)/319(2)/318(4)/3(5) बी०एन०एस० व 8/22/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम- स्वाट टीम, काइम ब्रान्च, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.12.2025 को थाना निवाडी पर वादिया की तहरीर के अनुसार अभियुक्त आमिल उर्फ आमिर द्वारा वादिया की पुत्री के साथ गलत काम करना तथा वादिया के देवर के पुत्र द्वारा विरोध करने पर अभियुक्तगण आमिल उर्फ आमिर, दोषू पुत्र नवाब अली, मंजूर पुत्र नन्ने, आमिर पुत्र ताहिर के द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में तत्काल धारा-74/76/115(2)/333/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.01.2026 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आमिल उर्फ आमिर पुत्र भूरे उर्फ अनीश निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद आयु करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पीडिता के बयानो के आधार पर उपरोक्त अभियोग धारा 65(1)/74/76/115(2)/333/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत विवेचनाधीन है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि पीडिता से मेरी जान पहचान थी। मैने मौका पाकर पीडिता के घर जाकर उसके साथ गलत काम किया था। इसी बात को लेकर पीडिता के परिवारजनो से हमारा झगडा भी हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आमिल उर्फ आमिर पुत्र भूरे उर्फ अनीश निवासी ग्राम खिन्दौडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद आयु करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।